बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,
खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–2, पटना–800001

पत्रांकः– 06:04:05:01:2016 दावा/दिनांक :

प्रेषक,

पंकज कुमार,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार ।

विषय :– परिवहन अभिकर्त्ताओं एवं प्रमादी राईस मिलरों का मिलिंग, परिवहन एवं हथालन मद में भुगतान हेतु विपत्र भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि राईस मिलरों का मिलिंग, परिवहन एवं हथालन मद में राशि का भुगतान हेतु जिला प्रबंधकों द्वारा जाँच–पड़ताल किये वगैर विपत्र तैयार कर प्राधिकार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यालय भेज दिया जाता है। मिलरों का प्राप्त विपत्रों के संदर्भ में विभिन्न बिन्दुओं पर जाँचोपरान्त जब जिला प्रबंधकों से प्रतिवेदन की मांग मुख्यालय द्वारा की जाती है, तो ज्ञात होता है कि संबंधित मिलर अथवा उनके सगे–संबंधी प्रमादी मिलर रह चुके हैं।

उदाहरण स्वरूप मे0 राज ट्रेडर्स, प्रो0 पुष्पा देवी के पति श्री रामेश्वर प्रसाद अधिप्राप्ति वर्ष 2009–10 में भोजपुर जिला के प्रमादी मिलर रह चुके हैं, फिर भी मे0 राज ट्रेडर्स, प्रो0 पुष्पा देवी को वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में धान/सी0एम0आर0 के परिवहन विपत्र की राशि क्रमशः 34,99,502/– रू0 एवं 12,62,148/– रू0 का भुगतान का प्रस्ताव जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर द्वारा निगम मुख्यालय भेजा गया। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, भोजपुर का पत्रांक–2229 दिनांक–26.12.2018 से प्राप्त सूचनानुसार मे0 राज ट्रेडर्स, प्रो0 पुष्पा देवी के पति श्री रामेश्वर प्रसाद, के0जी0 रोड, नवादा एक प्रमादी मिलर है तथा इनसे अधिप्राप्ति वर्ष 2009–10 के सी0एम0आर0 की राशि सहित अन्य वसूनीय राशि 1,34,64,353.33 रू0 वसूलनीय है। मे0 राज ट्रेडर्स, प्रो0 पुष्पा देवी के पति श्री रामेश्वर प्रसाद के विरूद्ध नीलामपत्र पदाधिकारी, भोजपुर के न्यायालय में नीलामपत्रवाद सं0–8/15–16 दायर है। इसके अतिरिक्त मे0 राज ट्रेडर्स, प्रो0 पुष्पा देवी, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) के विरूद्ध खाद्यान्न कालाबाजारी के आरोप में प्राथमिकी सं0–13/2016 दिनांक–02.02.2016 भी दर्ज है।

विदित है कि अधिप्राप्ति वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के प्रमादी मिलरों के विरूद्ध सी0एम0आर0 की राशि वसूली हेतु विभिन्न न्यायालयों में वाद दायर किये गये है तथा प्रमादी मिलरों से संबंधित वादों में आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग एवं अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है एवं नीलामपत्र वाद भी दायर है, जिसके माध्यम से भी सम्पत्ति, बैंक खाते से राशि की वसूली का प्रावधान के साथ BW/DW की कार्रवाई हो रही है।

ऐसी स्थिति में यदि किसी मिलर को मिलिंग, परिवहन एवं हथालन मद में राशि के भुगतान हेतु जिला प्रबंधकों द्वारा विपत्र तैयार कर भुगतान का प्रस्ताव मुख्यालय भेज दिया जाता है अथवा तथ्य को छुपाकर भुगतान का आदेश प्राप्त कर लिया जाता है और जाँच/समीक्षा के क्रम में यदि संबंधित मिलर अथवा उनके सगे–संबंधी की पहचान प्रमादी मिलर के रूप में होती है, तो इससे मिलरों के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में दायर मुकदमें प्रभावित हो सकते है।

लागातार .....

अतः निदेश है कि किसी भी परिवहन अभिकर्त्ता एवं मिलर को मिलिंग, परिवहन एवं हथालन मद में भुगतान हेतु विपत्र तैयार कर मुख्यालय भेजने के पूर्व अभिलेखों के जाँचोंपरान्त पूर्ण आश्वस्त हो लें, कि जिन परिवहन अभिकर्त्ता/मिलर का विपत्र तैयार किया जा रहा है, वे अथवा उनके सगे-संबंधी कभी प्रमादी मिलर नहीं रहे है। यदि इसके बावजूद भी परिवहन अभिकर्त्ता/मिलर का मिलिंग, परिवहन एवं हथालन मद का विपत्र तैयार कर जिला प्रबंधकों द्वारा भुगतान हेतु प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जाता है अथवा तथ्य को छुपाकर भुगतान का आदेश प्राप्त कर लिया जाता है और जाँच एवं समीक्षा के क्रम संबंधित परिवहन अभिकर्त्ता/मिलर अथवा उनके सगे-संबंधी की पहचान प्रमादी मिलर के रूप में होती है, तो इसके लिए संबंधित जिला प्रबंधक जिम्मेवार होगें।

विश्वासभाजन

ह0/-
(पंकज कुमार)
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक- 06:04:05:01:2016 1784 दावा/दिनांक : 12/2/19

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- मुख्य महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति)/मुख्य महाप्रबंधक (जन वितरण)/ महाप्रबंधक (वित्त)/उप महाप्रबंधक (दावा)/उप महाप्रबंधक (परिवहन) /उप महाप्रबंधक (वित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि यदि किसी परिवहन अभिकर्त्ता/मिलर का त्रुटिपूर्ण विपत्र प्राप्त हुआ हो, तो उसे त्रुटि का निराकरण हेतु तुरन्त संबंधित जिला प्रबंधक को वापस करना सुनिश्चित करें।

12/2/19
(पंकज कुमार)
प्रबंध निदेशक।